भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3790

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया)

सीएसआर निधि के माध्यम से आवश्यक अवसंरचना का विकास

3790. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल कितना व्यय किया गया है;
(ख) क्या सरकार को केरल के कासरगोड जैसे औद्योगिक केंद्रों में आवश्यक अवसंरचना के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोई राशि प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास यह जांचने और सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच और निगरानी प्रणाली है कि सीएसआर निधियों का व्यय वास्तव में उक्त उद्देश्यों के लिए किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इसके लिए सार्वजनिक लिमिटेड और निजी लिमिटेड कंपनियों से कितनी राशि प्राप्त हुई है और विगत पांच वर्षों के दौरान किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): सीएसआर के लिए कानूनी ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और अधिनियम की अनुसूची **VII** के माध्यम से प्रदान किया गया है। अनुसूची VII उन कार्यकलापों को इंगित करती है जिन्हें कंपनियों द्वारा पात्र सीएसआर कार्यकलापों के रूप में प्रारंभ किया जा सकता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2018-19 से 2022-23 के दौरान पीएसयू और गैर-पीएसयू द्वारा सीएसआर व्यय की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल राशि अनुलग्नक-I में दी गई है।

....2/-

(ख): अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा कोई सीएसआर राशि प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, अधिनियम की धारा 135(5) में प्रावधान है कि प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% व्यय करेगी। मंत्रालय औद्योगिक केन्द्र-वार सीएसआर व्यय का ब्यौरा नहीं रखता है। तथापि, एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2018-19 से 2022-23 के दौरान केरल में कासरगोड जिले सहित जिलावार सीएसआर व्यय अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग): सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादन करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सरकार किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र अथवा कार्यकलाप में व्यय करने के संबंध में कंपनियों को विशिष्ट निदेश जारी नहीं करती है। कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा क्रियान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करना अपेक्षित है और कंपनी के बोर्ड को स्वयं संतुष्ट होना होगा कि इस प्रकार वितरित धनराशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और उसी तरीके से किया गया है**,** और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इस आशय का प्रमाणन करना होगा। सीएसआर समिति सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगी, जिसमें निधियों के उपयोग के तौर-तरीके, परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र और कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो, का विवरण शामिल है। सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव आकलन आदि का विवरण कंपनियों द्वारा सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया जाना अपेक्षित है, जिसमें सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना शामिल है जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियां, जिनकी अपनी वेबसाइट हैं, को अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करना अपेक्षित है। सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसमें लेखापरीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देना अपेक्षित है। इस प्रकार, मौजूदा कानूनी प्रावधानों जैसे अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के खातों की सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रावधान आदि के साथ कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान करता है।

(घ)**:** अधिनियम के तहत कोई भी सीएसआर राशि प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2018-19 से 2022-23 के दौरान देश में पीएसयू और गैर-पीएसयू द्वारा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय अनुलग्नक- I में शामिल है।

*****

अनुलग्नक- ।

दिनांक 24.03.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3790 के भाग (क) और (घ) में संदर्भित

2018-19 से 2022-23 तक पीएसयू और गैर-पीएसयू द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2018-19		वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23	
		गैर-पीएसयू	पीएसयू	गैर-पीएसयू	पीएसयू	गैर-पीएसयू	पीएसयू	गैर-पीएसयू	पीएसयू	गैर-पीएसयू	पीएसयू
1	अंडमान और निकोबार	0.67	0.15	1.21	0.08	1.58	1.28	9.07	0.64	1.49	1.04
2	आंध्र प्रदेश	606.90	59.07	674.19	36.04	679.13	40.68	604.67	52.12	902.52	52.10
3	अरुणाचल प्रदेश	20.54	4.02	11.34	6.68	7.04	3.54	108.17	11.25	5.43	7.92
4	असम	43.41	166.59	60.79	224.21	87.06	93.18	174.51	231.66	172.19	298.05
5	बिहार	105.33	32.62	101.92	8.56	82.38	7.51	122.15	43.82	125.29	110.07
6	चंडीगढ़	11.29	0.17	15.48	0.09	13.40	0.00	50.59	0.29	17.47	0.59
7	छतीसगढ़	54.94	94.41	160.62	109.06	139.07	186.56	150.84	154.45	436.08	160.04
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	19.26	0.48	27.61	0.26	26.1	1.13	16.61	1.63	21.69	1.42
9	दिल्ली	577.22	173.63	620.95	209.05	679.24	45.34	840.94	352.99	1014.20	448.45
10	गोवा	40.01	6.76	38.42	5.49	36.04	5.88	41.22	4.22	53.36	4.75
11	गुजरात	965.53	116.65	885.05	99.31	1360.48	101.12	1473.05	130.87	1860.38	121.88
12	हरियाणा	352.83	25.28	507.54	30.38	535.49	15.37	625.87	58.08	661.68	38.48
13	हिमाचल प्रदेश	31.29	47.50	39.68	39.10	64.27	42.04	79.51	60.71	82.52	55.99
14	जम्मू और कश्मीर	16.57	19.87	14.74	10.53	13.88	21.68	25.99	24.69	45.35	25.87
15	झारखंड	49.89	59.91	63.08	92.14	131.67	94.87	125.88	67.45	273.32	114.81
16	कर्नाटक	1042.38	215.30	1231.89	216.27	1141.47	136.34	1646.80	192.93	1820.85	164.38
17	केरल	312.01	42.77	242.39	56.17	261.68	28.99	202.30	37.43	298.90	52.70
18	लक्षद्वीप	0.39	-	-	-	0.01	-	0.45	-	0.02	-
19	लेह और लद्दाख	-	-	-	-	-	-	5.29	9.54	6.63	5.09
20	मध्य प्रदेश	138.50	105.04	178.18	42.27	240.76	134.75	278.88	148.22	448.88	206.98
21	महाराष्ट्र	3036.00	111.73	3099.68	253.55	3250.74	214.07	5056.99	323.08	5186.31	308.46
22	मणिपुर	6.33	1.49	9.84	4.36	6.29	4.10	6.64	8.97	40.52	12.93
23	मेघालय	12.59	3.95	8.56	9.09	15.63	2.00	17.95	1.68	19.95	1.78
24	मिजोरम		0.11	0.25	0.00	0.95	0.02	1.85	5.09	1.97	9.03
25	नागालैंड	2.02	0.11	4.47	0.63	3.31	0.26	8.21	4.25	7.24	6.33
26	ओडिशा	156.89	541.02	194.31	523.08	259.38	318.78	273.19	397.13	592.98	394.72
27	पुडुचेरी	6.78	2.37	11.32	-	12.41	0.02	8.45	0.86	10.28	2.26
28	पंजाब	161.08	5.77	186.67	2.77	155.61	2.84	177.83	7.05	234.88	12.59
29	राजस्थान	551.06	44.43	711.12	23.00	652.87	17.12	659.57	52.25	1046.34	55.81
30	सिक्किम	4.58	1.29	9.94	1.05	8.51	8.77	9.47	18.77	12.47	23.70
31	तमिलनाडु	761.84	115.24	944.13	128.13	1097.19	76.88	1357.41	74.65	1456.24	102.42
32	तेलंगाना	381.15	46.92	394.13	51.67	543.33	84.38	592.02	93.85	925.92	80.71
33	त्रिपुरा	2.26	20.80	1.91	7.49	3.48	5.81	4.96	10.95	4.82	14.44
34	उत्तर प्रदेश	367.02	154.29	503.27	74.71	782.58	124.75	1125.26	213.91	923.82	228.61
35	उत्तराखंड	72.50	99.81	67.97	56.73	109.89	50.69	143.59	84.49	185.26	115.85
36	पश्चिम बंगाल	331.82	50.41	381.95	41.90	406.53	64.95	468.91	98.29	623.36	136.16
37	अन्य केंद्रीकृत फंड	583.62	573.24	1331.14	459.56	2525.09	966.21	754.63	865.46	688.29	403.56
38	पैन इंडिया*	5162.29	1281.23	6906.54	2479.12	6388.69	1416.34	4996.27	526.47	5673.11	315.80
39	एनईसी/उल्लिखित नही*	4.44	0.00	13.41	7.57	1.43	168.04	0.09	0.00	10.12	0.00
	कुल	15993.20	4224.46	19655.70	5310.12	21724.68	4486.27	22246.10	4370.20	25892.14	4095.77

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

******

अनुलग्नक- II

दिनांक 24.03.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3790 के भाग (ख) में संदर्भित

2018-19 से 2022-23 तक पीएसयू और गैर-पीएसयू द्वारा जिलावार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	जिला	वित्तीय वर्ष 2018-19		वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23	
		गैर पीएसयू	पीएसयू	गैर पीएसयू	पीएसयू	गैर पीएसयू	पीएसयू	गैर पीएसयू	पीएसयू	गैर पीएसयू	पीएसयू
1	अलाप्पुझा	6.10	0.52	1.43	1.18	1.44	0.17	3.51	0.36	3.55	0.65
2	एर्नाकुलम	66.14	0.92	41.84	13.60	48.35	11.43	67.76	15.67	123.06	15.91
3	इडुक्की	1.13	-	1.05	0.13	0.51	0.16	7.52	0.18	8.45	1.01
4	कन्नूर	2.39	-	0.20	0.59	1.06	2.75	3.44	5.84	4.68	3.57
5	कासरगोड	-	-	0.17	0.58	0.34	0.80	0.93	0.31	2.17	1.13
6	कोल्लम	0.29	-	1.48	0.14	1.58	1.74	4.18	7.01	7.58	0.40
7	कोट्टायम	1.68	0.15	2.81	0.65	3.32	0.83	6.15	1.40	2.89	0.68
8	कोझीकोड	2.48	1.20	2.37	0.05	9.88	0.03	9.03	1.24	11.38	1.06
9	मलप्पुरम	2.21	1.00	0.12	-	2.05	0.94	2.20	-	3.33	1.17
10	पलक्कड़	1.89	1.13	5.79	0.40	12.95	0.96	18.55	0.65	28.56	1.61
11	पथानामथिट्टा	3.89	1.06	1.50	0.32	0.85	0.30	1.03	0.20	3.15	0.40
12	तिरुवनंतपुरम	29.90	0.29	5.54	0.86	10.10	0.53	18.83	1.94	26.10	22.06
13	त्रिशूर	15.78	1.83	29.75	0.98	41.98	1.47	32.41	1.32	40.42	1.50
14	वायनाड	1.40	-	1.75	1.30	0.76	0.67	2.33	1.00	3.85	1.00
15	अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया जिला	176.73	34.67	146.61	35.38	126.49	6.20	24.42	0.30	29.71	0.57
	कुल	312.01	42.77	242.39	56.17	261.68	28.99	202.30	37.43	298.90	52.70

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

******